



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09082021-228835
CG-DL-E-09082021-228835

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2972]
No. 2972]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 9, 2021/श्रावण 18, 1943
NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 9, 2021/SHRAVANA 18, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2021

सं. 15/2015-2020

विषय: इन्टीग्रेटेड सर्किट्स (आईसी) की आयात नीति में संशोधन और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 85 के एचएस कोड 85423100, 85423900, 85423200, 85429000 तथा 85423300 हेतु नीतिगत शर्त को शामिल करना।

का.आ. 3203(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित, विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और 9 के साथ पठित धारा-3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा का. आ. 1840 (अ) दिनांक 10.05.2021 के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 05/2015-2020 दिनांक 10.05.2021 के पैरा 3 को निम्नानुसार संशोधित करती है:

3. सीएचआईएमएस के ऑनलाईन परीक्षण की सुविधा दिनांक 01.05.2021 से बिना पंजीकरण शुल्क के भुगतान के www.import.gov.in पर परीक्षण आधार पर उपलब्ध होगी। अधिसूचना सं. 05/2015-2020 दिनांक 10.05.2021 में यथा-सूचीबद्ध मदों हेतु सीएचआईएमएस दिनांक 01.10.2021 अर्थात् दिनांक 01.10.2021 को अथवा

पश्चात् फाइल किए गए प्रविष्टि बिल हेतु लागू होगा। तदनुसार, सीएचआईएमएस हेतु आनलाईन पंजीकरण की सुविधा दिनांक 01.10.2021 से उपलब्ध होगी।

2 अधिसूचना का प्रभाव: सीएचआईएमएस हेतु परीक्षण अवधि को दो माह अर्थात् दिनांक 30.09.2021 तक आगे बढ़ाया गया है। सीएचआईएमएस पोर्टल पर पंजीकरण दिनांक 01.10.2021 से आरंभ होगा।

यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा.सं. 01/89/180/29/एम-20/पीसी-2(ए)/ई-24342]

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 2021

No. 15 /2015-2020

Subject: Amendment in import policy of Integrated Circuits (ICs) and incorporation of policy condition for HS Codes 85423100, 85423900, 85423200, 85429000, and 85423300, of Chapter 85 of ITC (HS), 2017, Schedule - I (Import Policy).

S.O. 3203(E).— In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 & Section 9 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para 3 of Notification No.05/2015-2020 dated 10.05.2021 published in the Gazette of India (Extra-ordinary) vide S.O. 1840(E) dated 10th May, 2021 as under:

3. The facility of online testing of CHIMS, without payment of registration fee, will be available on www.imports.gov.in with effect from 01.05.2021 on trial basis. The CHIMS will be effective from 01.10.2021, i.e., for Bill of Entry filed on or after 01.10.2021, for items as listed in Notification No 05/2015-2020 dated 10.05.2021. Accordingly, the facility of online Registration for CHIMS will be available with effect from 01.10.2021.

2. **Effect of the Notification:** The trial period of CHIMS is extended by further two months i.e. upto 30.09.2021 and the registration at CHIMS portal will be effective from 01.10.2021.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/29/AM-20/PC-2[A]/E-24342]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex- officio Addl. Secy.